

उत्तर प्रदेश शासन,

श्रम अनुभाग-3

संख्या- 13 /2020/ 502 /36-03-2020-30(सा०)/2020 टी०सी०

लखनऊ : दिनांक 08 मई, 2020

:: अधिसूचना ::

चूँकि कोविड-19 महामारी के कारण, भारत सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन तथा अन्य कठोर उपाय घोषित किया है, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य सहित सम्पूर्ण देश में लोक आपात की कोटि की आन्तरिक अशांति उत्पन्न हो गयी है।

अतएव, अब कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त कारखाने, धारा 51, धारा 54, धारा 55, धारा 56 एवं धारा 59 के अधीन वयस्क कर्मकारों के लिए साप्ताहिक घण्टों, दैनिक घण्टों, अतिकाल तथा विश्राम अंतरालों आदि से संबंधित विभिन्न उपबन्धों से निम्नलिखित शर्तों के साथ दिनांक 20 अप्रैल से दिनांक 19 जुलाई, 2020 तक के लिये छूट प्राप्त होंगे :-

- (1) कोई वयस्क कर्मकार, किसी कारखाना में किसी एक कार्य दिवस में बारह घण्टे तथा एक सप्ताह में बहत्तर घण्टे से अधिक कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा या उससे ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (2) किसी कारखाना में प्रत्येक दिवस में वयस्क कर्मकारों की कार्य अवधियां इस प्रकार नियत की जायेंगी कि कोई अवधि छः घण्टे से अधिक न हो और यह कि कम से कम आधे घण्टे के विश्राम अंतराल के पूर्व कोई कर्मकार छः घण्टे से अधिक कार्य नहीं करेगा।
- (3) मजदूरी, विद्यमान मजदूरी दरों के अनुपात में होगी (उदाहरणार्थ यदि आठ घण्टे की मजदूरी अस्सी रूपये हो तो 12 घण्टे की अनुपातिक मजदूरी 120 रूपये होगी।

आज्ञा से,

( सुरेश चन्द्रा )

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या- 13 / 2020/ 502(1)/36-03-2020-30(सा०)/2020 टी०सी० तद्दिनांक**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अंग्रजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 08 मई, 2020 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियाँ श्रम अनुभाग-3 बापू भवन उ०प्र० सचिवालय लखनऊ एवं 150 प्रतियाँ श्रम आयुक्त उ०प्र० कानपुर पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
4. श्रमायुक्त, उ०प्र०, कानपुर।
5. निदेशक कारखाना, उ०प्र० कानपुर।
6. अधिशासी अधिकारी, उद्योग बन्धु, उ०प्र० लखनऊ।
7. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ०प्र० (द्वारा श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर)
8. समस्त उप/सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र०। (द्वारा निदेशक कारखाना, उ०प्र० कानपुर)

आज्ञा से,

( अजीज अहमद )

उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**Uttar Pradesh Shasan  
Shram Anubhag-3**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/2020/502/XXXVI-03-2020- 30 (Sa.)/2020TC, dated 08 May, 2020.

**NOTIFICATION**

**No. 13 /2020/ 502 /XXXVI-03-2020- 30 (Sa.)/2020TC**

**Dated Lucknow, 08 May, 2020**

WHEREAS due to pandemic of Covid-19 Government of India has declared lockdown and other stringent measures to fight against the pandemic resulting occurrence of internal disturbance amounting to public emergency in the entire country including State of Uttar Pradesh.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948) the Government of Uttar Pradesh hereby directs that all the factories registered under the Factories Act, 1948 shall be exempted from various provisions relating to weekly hours, daily hours, overtime, intervals for rest etc. of adult workers under section 51, section 54, section 55, section 56 and section 59 with the following conditions from 20th April till 19th July 2020 :-

- (1) No adult worker shall be allowed or required to work in a factory for more than twelve hours in any day and Seventy two hours in any week.
- (2) The periods of work of adult workers in a factory each day shall be so fixed that no period shall exceed six hours and that no worker shall work for more than six hours before he has had an interval for rest of at least half an hour.
- (3) Wages shall be in proportion of the existing wages. (e.g. If wages for eight hours are 80 Rupees, than proportionate wages for twelve hours will be 120 Rupees).

By Order,

(Suresh Chandra)  
Pramukh Sachiv

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।